

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठारिीन अधिकारी:- अशोक कुमर, आर.ए.एस.
ररररर आवेदन संख्या :- 58/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/87

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1.काली देवी पत्नी हेमररर
2.किशनररर पुत्र हेमररर
3.गोरुधनररर पुत्र हेमररर
4.बरुररर पुत्र हेमररर
5.वेनररर पुत्र हेमररर जाति जाट
निवरसी वरडियों की ढरणी, कोरणर
तहसील कल्याणपुर व जिलर
बरलोतरर

1.चूनर पुत्र फूआ
2.पुरखररर पुत्र धुडररर
3.रूगनरथररर पुत्र धुडररर
4.खेररररर पुत्र तिलररर
5.गोरखररर पुत्र तिलररर
6.डूंगरररर पुत्र मोडररर
7.नैनररर पुत्र खरथररर
जाति जाट
निवरसी वरडियों की ढरणी, कोरणर
तहसील कल्याणपुर जिलर बरलोतरर
8.रररस्थरन रररर जरीए तहसीलदरर
कल्याणपुर

ररररर आवेदन अन्तर्गत धररर 111,128 रररस्थरन भू-ररररर अधिनियम 1956

उपस्थिति-

- 1.श्री अचलररर थोरी अधिवक्तर प्रार्थीगण
- 2.विप्रार्थीगण एकपक्षीय

आदेश

दिनरंक 22/05/2025



1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं,कि प्रार्थीगण की खरतेदररी भूमि ग्ररम वरडियों की ढरणी पटवरर हल्कर कोरणर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरर संख्या 485 क्षेत्रफल 2.3229 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण कर शरन्तिपूर्वक कब्जर कशत चलर आ रहर है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढर सेढर विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षर ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण धररर दखलदरन्जी की जरती है,और आये दिन सीमरओ को लेकर पक्षकरररन मे तनरजर रहतर है। अतः प्रार्थीगण धररर ग्ररम वरडियों की ढरणी पटवरर हल्कर कोरणर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरर संख्या 485 क्षेत्रफल 2.3229 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवरने हेतु यह आवेदन पत्र पेश कियर है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बरलोतरर

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम वाड़ियों की ढाणी पटवार हल्का कोरणा तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 485 क्षेत्रफल 2.3229 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा कारत चलता आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढा विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगडालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम वाड़ियों की ढाणी पटवार हल्का कोरणा तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 485 क्षेत्रफल 2.3229 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम वाड़ियों की ढाणी पटवार हल्का कोरणा तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 485 क्षेत्रफल 2.3229 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्ड खातेदार है,और रिकार्ड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण प्रथम दृष्यता हकदार प्रतीत



है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना समझते है,जिसके अनुसार :-धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे:

1.(परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र,जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटारे जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 14.12.2022 की छायाप्रति अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5. उपरोक्त विवेचन के उपरान्त न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम वाड़ियों की ढाणी पटवार हल्का कोरना तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 485 क्षेत्रफल 2.3229 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए विधिनुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है।

(अशोक कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 22/05/2025 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

22/05/2025